



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

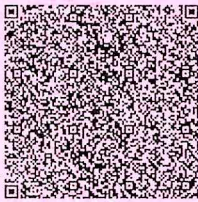


IN-UP22643521519420Y

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP22643521519420Y
Certificate Issued Date : 21-Feb-2026 02:11 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0137570391162232Y
Purchased by : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : VILL-DONA,GATA NO-2988 ETC,TOTAL AREA-0.4586 HEC LUCKNOW
Consideration Price (Rs.) :
First Party : DAYARAM
Second Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Paid By : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Amount(Rs.) : 8,98,870
(Eight Lakh Ninety Eight Thousand Eight Hundred And Seventy only)



Scanned Total Pages...16

नि.स.

IN-UP22643521519420Y

Please write or type below this line

दयाराम



PF 0026415733

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

VOID VOID VOID

005e472539



५१

५१

13. विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है। विक्रय हेतु अनुज्ञा अंतर्गत धारा-98(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या-202515701041066291 आवेदक श्री दयाराम पुत्र मोलहे के नाम अपर जिलाधिकारी-महोदय, वित्त एवं राजस्व, लखनऊ के आदेश दिनांक 27.01.2026 के द्वारा क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के पक्ष में विक्रय करने की अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) - नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या- 354

15. पूरब - गाटा संख्या - 353
16. पश्चिम - गाटा संख्या - 335
17. उत्तर - गाटा संख्या - चकरोड
18. दक्षिण - गाटा संख्या - 350

56

19. विक्रेता का विवरण:-

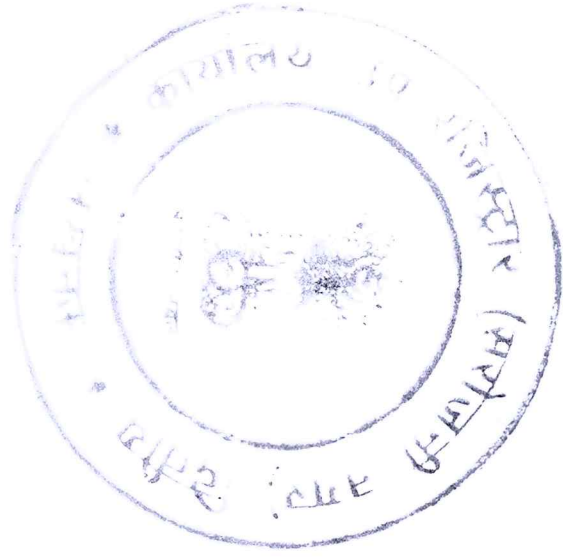
श्री दयाराम पुत्र मोलहे निवासी- दोना, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
आधार नं0 9821 9228 7073 मो0 नं0 9208575677 पैन नं0 **DZCPD6690B**

20. क्रेता का विवरण:-

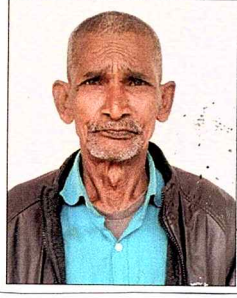
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत - वरुण विहार आवासीय योजना
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
लखनऊ विकास प्राधिकरण
गोमती नगर, लखनऊ
द्वारा - श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला
पदनाम - सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार
विभाग - लखनऊ विकास प्राधिकरण
जनपद - लखनऊ मो0 - 9540244993
पैन संख्या - **AAALL0016F**

21. विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन व बय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा **0.4586 हेक्टेयर** भूमि विक्रीत की जाती है। अब वजरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों व दाखिल-खारिज संहित पूरे होशो हवास में खूब सोच व समझकर, बिना किसी दबाव मय कुल हक व हकूक के विला छोड़े किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिंग रुपये 1,28,40,800/- (रुपये एक करोड़ अठाईस लाख चालीस हजार आठ सौ मात्र) जिसके आधे मुबलिंग रुपये 64,20,400/- (रुपये चौसठ लाख बीस हजार चार सौ मात्र) होते हैं, बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरुण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा

दयाराम



५७



विक्रय विलेखपत्र का विवरण

54

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट — 70,00,000 /— (प्रति हे०)
 2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000 /— (प्रति हे०)
 3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति — 1,28,40,800 /—
(वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य)
 4. मालियत रू० — 32,10,200 /—
 5. जनरल स्टाम्प — 8,98,870 /—
- स्टाम्प सं. डी IN-UP22643521519420Y व दिनांक 21-02-2026

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार — (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला — दोना
8. परगना व तहसील — काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद — लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

- खसरा सं० 2988 का कुल रकबा 0.2280हे० में से विक्रीत रकबा 0.1140हे०,
खसरा सं० 1302 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0190हे०,
खसरा सं० 1450 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0695हे०,
खसरा सं० 2935 का कुल रकबा 0.1580हे० में से विक्रीत रकबा 0.0790हे०,
खसरा सं० 354 का कुल रकबा 0.0500हे० में से विक्रीत रकबा 0.0251हे०,
खसरा सं० 1824 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विक्रीत रकबा 0.0570हे०,
खसरा सं० 2914 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0255हे०,
खसरा सं० 1301 का कुल रकबा 0.1398हे० में से विक्रीत रकबा 0.0695हे०,
कुल रकबा 0.8719हे० में से विक्रीत रकबा 0.4586हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।
10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.4586हे०
 11. सड़क की स्थिति — किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
 12. विक्रीत रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।

दयाराम

53



अधिकृत प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय का मिल व फरोख्त कतई किया यानि लखनऊ विकास प्राधिकरण को बेच दिया और कुल विक्रीत धनराशि क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से क्रेता का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नहीं रहा। अगर कोई शख्स दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बधित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए हैं अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नहीं किया गया है। और प्रसंगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. तफसील आराजी बयसुदा:-

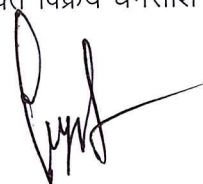
भूमिधरी आराजी खसरा सं० 2988 का कुल रकबा 0.2280हे० में से विक्रीत रकबा 0.1140हे०, खसरा सं० 1302 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0190हे०, खसरा सं० 1450 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0695हे०, खसरा सं० 2935 का कुल रकबा 0.1580हे० में से विक्रीत रकबा 0.0790हे०, खसरा सं० 354 का कुल रकबा 0.0500हे० में से विक्रीत रकबा 0.0251हे०, खसरा सं० 1824 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विक्रीत रकबा 0.0570हे०, खसरा सं० 2914 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0255हे०, खसरा सं० 1301 का कुल रकबा 0.1398हे० में से विक्रीत रकबा 0.0695हे०, कुल रकबा 0.8719हे० में से विक्रीत रकबा 0.4586हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

23. तफसील बसूलयाबी:-

कुल विक्रय मूल्य मु० रूपये 1,28,40,800/- (रूपये एक करोड अठाईस लाख चालीस हजार आठ सौ मात्र) विक्रेता श्री दयाराम पुत्र मोलहे, उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफ्ट ICICI Bank शाखा अशोक मार्ग, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 538352 दिनांक 19.02.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य

दयाराम





५

किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में विक्रीत आराजी के बाबत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा-बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी में विफल होने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भाँति करने को हकदार होगा जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू-राजस्व की भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान- लखनऊ।

दिनांक-21.2.2026

दयाराम



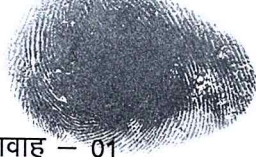
५९



u8

दयाराम

हस्ताक्षर विक्रेता



गवाह - 01

नाम - श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन)
पिता का नाम - श्री दिनेश कुमार अवस्थी
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या- 4986 9378 6018
मोबाइल संख्या - 6387717976



Handwritten signature of the seller

Handwritten signature of the witness (Gawah - 02)

हस्ताक्षर गवाह



गवाह - 02

नाम - श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री राम सागर
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आधार संख्या- 6542 8459 4318
मोबाइल संख्या - 7081100818



Handwritten signature of the witness

टाइपकर्ता

Handwritten signature of the typist

सौरभ

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रालेखक

Handwritten signature of the legal representative

श्री दान बहादुर पाठक
(एडवोकेट)

लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो0 6386063529



आवेदन सं०: 202601041008248

47

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3297

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 12840800 स्टाम्प शुल्क- 898870 बाजारी मूल्य - 3210200 पंजीकरण शुल्क - 128410 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग: 128470

श्री दयाराम,
पुत्र श्री मोलहे
व्यवसाय: अन्य
निवासी: दोना

दयाराम

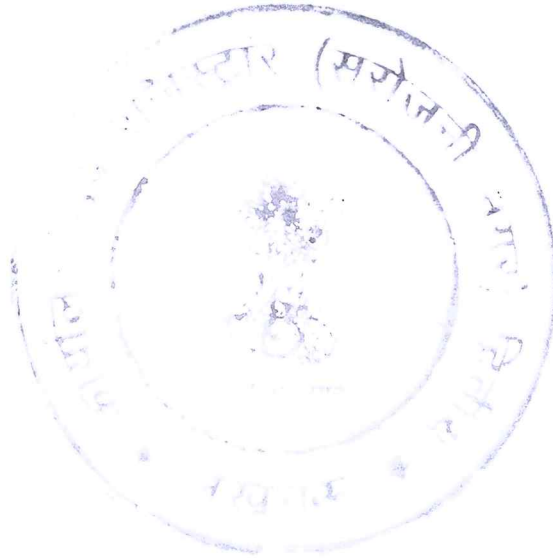


ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/02/2026 एवं 07:20:45 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

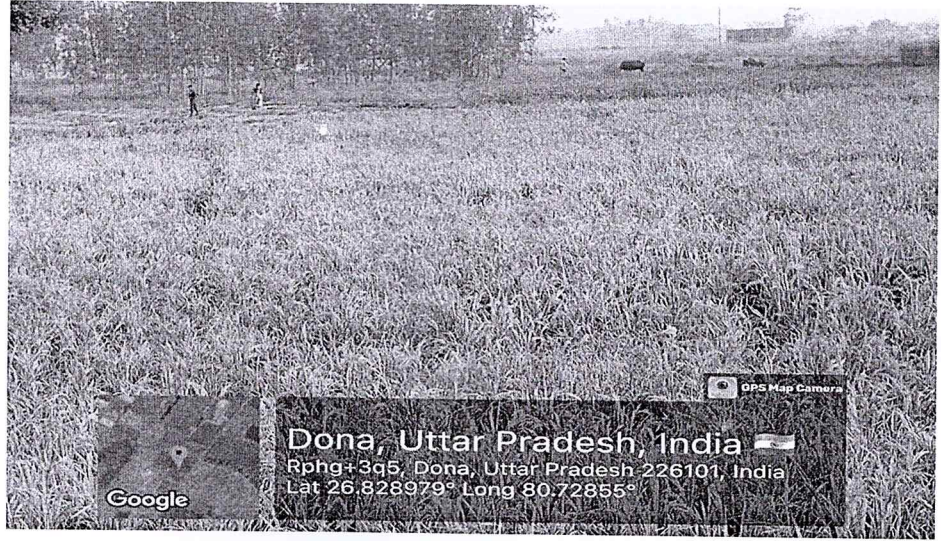
संतोष कुमार सिंह
उप निबंधक सरोजनीनगर द्वितीय
लखनऊ
23/02/2026

सुनील कुमार तिवारी
निबंधक लिपिक
23/02/2026



विक्रीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० 2988 का कुल रकबा 0.2280हे० में से विक्रीत रकबा 0.1140हे०, खसरा सं० 1302 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0190हे०, खसरा सं० 1450 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0695हे०, खसरा सं० 2935 का कुल रकबा 0.1580हे० में से विक्रीत रकबा 0.0790हे०, खसरा सं० 354 का कुल रकबा 0.0500हे० में से विक्रीत रकबा 0.0251हे०, खसरा सं० 1824 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विक्रीत रकबा 0.0570हे०, खसरा सं० 2914 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0255हे०, खसरा सं० 1301 का कुल रकबा 0.1398हे० में से विक्रीत रकबा 0.0695हे०, कुल रकबा 0.8719हे० में से विक्रीत रकबा 0.4586हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम—दोना, परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



दयाराम

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर



आवेदन सं०: 202601041008248

48

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3297

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री दयाराम,

|DAYARAM

पुत्र श्री मोलहे

निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 690B

क्रेता: 1

दयाराम



श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप
शुक्ला (नायब तहसीलदार),

|LUCKNOW DEVELOPMENT
AUTHORITY

....

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैर XXXXXX 016F

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री शिवम अवस्थी अमीन,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



श्री देशराज लेख0,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

देशराज लेख0



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

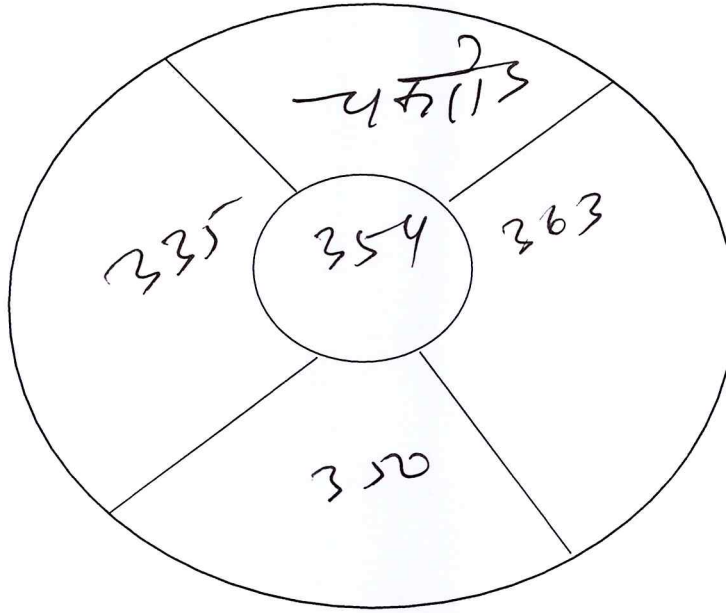
सुनील कुमार सिंह
उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय
लखनऊ

23/02/2026

सुनील कुमार तिवारी
निबंधक लिपिक लखनऊ
23/02/2026

0 – 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा सं० 2988 का कुल रकबा 0.2280हे० में से विक्रीत रकबा 0.1140हे०, खसरा सं० 1302 का कुल रकबा 0.0380हे० में से विक्रीत रकबा 0.0190हे०, खसरा सं० 1450 का कुल रकबा 0.1390हे० में से विक्रीत रकबा 0.0695हे०, खसरा सं० 2935 का कुल रकबा 0.1580हे० में से विक्रीत रकबा 0.0790हे०, खसरा सं० 354 का कुल रकबा 0.0500हे० में से विक्रीत रकबा 0.0251हे०, खसरा सं० 1824 का कुल रकबा 0.1140हे० में से विक्रीत रकबा 0.0570हे०, खसरा सं० 2914 का कुल रकबा 0.0510हे० में से विक्रीत रकबा 0.0255हे०, खसरा सं० 1301 का कुल रकबा 0.1398हे० में से विक्रीत रकबा 0.0695हे०, कुल रकबा 0.8719हे० में से विक्रीत रकबा 0.4586हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



दयाराम

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर

आवेदन सं०: 202601041008248

UB

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2123 के पृष्ठ 399 से 418 तक क्रमांक 3297 पर दिनांक 23/02/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह

उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

23/02/2026

